यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून** के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं सुश्री सरूनी शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20.08.2018 से 29.08.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.11.16 से 23.11.16 तक श्री अमर नाथ साहू, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः परमिट, कर संग्रह, रजिस्ट्रेशन, लाइसेन्स इत्यादि कार्य तहसील- देहरादून व मसूरी का सम्पूर्ण भाग।**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| वर्ष | अर्जित राजस्व (₹ लाख में) |
|---|---|
| 2015-16 | 12496.39 |
| 2016-17 | 16768.78 |
| 2017-18 | 19269.75 |

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+)` | बचत (-)` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना ` | गैर स्थापना ` | आवंटन ` | व्यय ` | आवंटन ` | व्यय ` | | |
| 2015-16 | - | - | - | - | 387.22 | 352.31 | - | 34.91 |
| 2016-17 | - | - | - | - | 425.01 | 412.77 | - | 12.24 |
| 2017-18 | - | - | - | - | 430.28 | 422.95 | - | 7.33 |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| लागू नहीं | | | | | |

**(iii)इकाई को बजट आवंटन** मुख्यालय से किया जाता है। राजस्व संग्रह को सम्मिलित करते हुए इकाई .....'A'... श्रेणी की है।

**(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

**प्रमुख सचिव - अपर सचिव- आयुक्त - अपर आयुक्त- सहायक आयुक्त- R.T.O- A.R.T.O- T.T.O**

**(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

**(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :**

**राजस्व: - माह 10/2016 , 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

**व्ययः - माह 03/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

**(vii)** योजना का चयन :- शून्य

**(Viii)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग 2 "ब"

**प्रस्तर-1 : वाहनों से कर की वसूली न किया जाना ` 10.86 लाख व शास्ति ।**

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा-4(1), (1-क) व (2) के अनुसार वाहनों का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बंध में ऐसी दर पर जैसे कि राज्य सरकार द्वारा गज़ट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक कर अथवा त्रैमासिक या मासिक कर (जैसा भी लागू है) का भुगतान न कर दिया गया हो। धारा-9(तीन) के अनुसार धारा-4 की उपधारा-2 के अधीन संदेय कर त्रैमास के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती कलेंडर माह के पंद्रह तारीख या उसके पूर्व या प्रत्येक अगले अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम कलेंडर माह के पंद्रह तारीख या उसके पूर्व संदेय होगा। धारा-20(1) के अनुसार देय किसी कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा; उपधारा-3 के अनुसार कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकयों के लिए यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में माँग करेगा जिसमे पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।

अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दर उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं॰ 1015/ix-1/106/2012 दिनाँक 29.11.2012 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी जो कि दिनाँक 01.12.2012 से प्रभावी थी:

| क्रम सं॰ | यान का विवरण | त्रैमासिक कर की दर (रु में) | वार्षिक कर की दर (रु में) |
|---|---|---|---|
| 1 | (क) मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए | 430 | 1700 |
| | (ख) मैक्सी कैब के प्रत्येक सीट के लिए | 510 | 1900 |
| 2 | मालयान, जिनका सकलयान भार 3000 कि॰ग्रा॰ से अधिक है, के सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए | 230 | 850 |
| 4 | संनिर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित यान, जो व्यावसायिक उद्देश्य से पंजीकृत हो अथवा उपयोग में लाये जाएँ, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए | 500 | 1800 |
| 7 | शिक्षण संस्थान बस या निजी सेवा यान या स्कूल कैब की प्रत्येक सीट के लिए | 90 | 320 |

अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1-क) के अधीन माल यान पर कर की दर निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी:

| क्रम सं. | यान का विवरण | वार्षिक कर की दर (रु में) |
|---|---|---|
| 1 | ड्राइवर को छोड़कर तीन व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले दुपहिया और तिपहिया मोटर कैब की प्रत्येक सीट के लिए | 730 |
| 2 | ड्राइवर को छोड़कर तीन व्यक्तियों से अधिक और 06 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले दुपहिया और तिपहिया मोटर कैब की प्रत्येक सीट के लिए | 845 |
| 3 | मालयान जिनका सकल भार 3000 कि॰ ग्रा॰ से अनधिक हो, पर सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए | 1000 |

उक्त अधिनियम की धारा-9(3) के अन्तर्गत जहां किसी मोटरयान के सम्बंध में कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाए वहाँ देय कर के अतिरिक्त (देय धनराशि के अनधिक) शास्ति देय होगी। आगे, मोटर कराधान नियमावली, 2003 के नियम 24(2) के अनुसार कर जमा न किए जाने पर देय कर की धनराशि के 50% के बराबर शास्ति भी देय होगी।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वाहनों के कर संबन्धित पत्रावलियों व अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि **संलग्नक-I व संलग्नक-II** के अनुसार 49 माल वाहनों व 46 यात्री वाहनों द्वारा देय कर लेखापरीक्षा तिथि (08/2018) तक जमा नहीं कराया गया था। कर जमा न कराये जाने से विभाग को संलग्न विवरण अनुसार क्रमश: रु 5,67,270/- व रु 5,19,142/- (कुल रु 10,86,412/-) (03/2018 तक) कर के रूप में प्राप्त नहीं हुये थे। उक्त के अतिरिक्त इन वाहनों पर नियमानुसार शास्ति भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा कि वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर नियमानुसार करों की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग 2 "ब"</u>**

**<u>प्रस्तर-2 :</u>** **समर्पित वाहनों से कर की वसूली न किया जाना ` 6.22 लाख ।**

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम-22 में मोटरयान के अनुपयोग की दशा में वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान को कराधान अधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित किए जाने का प्रावधान किया गया है। नियम 22(4) के अनुसार कराधान अधिकारी किसी भी यान के अनुपयोग की सूचना को एक कलेंडर वर्ष में एक समय में तीन कलेंडर माह से अधिक समय के लिए स्वीकृत नहीं करेगा। फिर भी यदि यान का स्वामी एक सौ रुपये शुल्क के साथ आवेदन करे तो कराधान अधिकारी द्वारा पुनः तीन कलेंडर माह की अवधि के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। परंतु, किसी भी दशा में यान एक कलेंडर वर्ष में छः माह से अधिक अवधि के अभ्यर्पण की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। यदि ऐसा कोई यान अभ्यर्पण की स्वीकृति की अवधि बढ़ाए बिना एक कलेंडर वर्ष में तीन कलेंडर माह से अधिक समय के लिए अभ्यर्पित रखता है तो इसे प्रतिसंहत किया हुआ समझा जायेगा और यान का स्वामी कर का देनदार होगा।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में अभ्यर्पित वाहनों की पत्रावली एवं अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में समर्पित 17 माल वाहनों व 35 यात्री वाहनों से नियमानुसार कर की वसूली नहीं की गयी थी (**विवरण संलग्नक I व II**)।

वाहन स्वामियों द्वारा तीन कलेंडर माह की अवधि के उपरान्त भी निर्धारित शुल्क जमा न करते हुये समर्पण अवधि बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी एवं वाहन तीन कलेंडर माह से अधिक की अवधि के उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि (08/2018) तक समर्पित थे। परन्तु, कार्यालय द्वारा नियमानुसार क्रमश: रु 2,43,320/- व रु 3,78,732/- (कुल रु 6,22,052/- ) (03/2018 तक) का कर अधिरोपित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त देय कर पर नियमानुसार शास्ति भी आरोपणीय था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग 2 "ब"</u>**

**<u>प्रस्तर- 3:</u>** **फ़िटनेस नवीनीकरण न कराये जाने से राजस्व अवरोधन ` 5.32 लाख।**

केंद्रीय मोटर-यान नियमावली, 1989 के नियम 62(2) के अन्तर्गत वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण किए जाने का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 894 दिनाँक 29.12.2016 के बिन्दु 81 के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने या उसका नवीनीकरण करने के लिए किसी यान के परीक्षण का संचालन किए जाने हेतु हल्के वाहन के लिए ` 400/-, मध्यम एवं भारी वाहन के लिए ` 600/- फीस के साथ-साथ मोटर-यानों की फिटनेस के लिए प्रमाण-पत्र अनुदत्त करना या उसका नवीनीकरण हेतु ` 200/- फीस भी देय है। फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात विलम्ब के लिए ` 50/- प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस भी देय है।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वाहनों के फिटनेस सम्बन्धी अभिलेखों व उपलब्ध सूचना की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (08/2018) तक 48 वाहनों की फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। फ़िटनेस का नवीनीकरण न किए जाने से विभाग द्वारा ` 28,800/- फिटनेस फीस के साथ-साथ ` 5,03,200/- अतिरिक्त/विलम्ब फीस (कुल ` 5,32,000/-) के रूप में वसूल नहीं किए गए थे (03/2018 तक) **(विवरण संलग्न)**।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि उक्त राजस्व हानि की आपत्ति स्वीकार नहीं है क्योंकि वाहन की फिटनेस प्राप्त करने हेतु वाहन स्वामी को निर्धारित शुल्क के साथ स्वस्थ रूप में वाहन को उपस्थित करना अनिवार्य है। यदि वाहन फिटनेस योग्य नहीं है तो वाहन स्वामी को वाहन प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। वाहन की फिटनेस विलम्ब होने पर प्रतिदिन के आधार पर प्रशमन शुल्क निर्धारित है। उक्त वाहनों के द्वारा फिटनेस हेतु आवेदन करने पर उनके निर्धारित फिटनेस शुल्क के साथ शास्ति की वसूली की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वाहन अनुप्रयोग की दशा में संबन्धित वाहन नियमानुसार कार्यालय में अभ्यर्पित किये जाने थे जो कि नहीं किये गये थे। अतः ऐसे वाहनों के प्रयोग मे रहने से इन्कार नहीं किया जा सकता एवं वाहनों का समय से फिटनेस किया जाना आवश्यक था ।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 "ब"**

**प्रस्तर-4: वाहनों की नीलामी न किए जाने से राजस्व अवरोधन ` 0.69 लाख ।**

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम-22 में मोटरयान के अनुपयोग की दशा में वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान को कराधान अधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अभ्यर्पित न किए जाने के स्थिति में यह समझा जाएगा कि मोटर यान उपयोग में रहा है। उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 22 की उप-धारा-1 के अनुसार जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा मोटर वाहन कर या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किए बिना किसी मोटर यान का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहाँ ऐसा अधिकारी मोटर यान को अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है। आगे उप-धारा-3 के अनुसार जहाँ मोटर वाहन कर, शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिनका भुगतान न करने के कारण किसी मोटर यान को इस धारा के अधीन अभिगृहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरुद्ध के दिनाँक से 90 दिवस की अवधि के भीतर उपधारा-(2) के अधीन राजकीय कोष में जमा न कर दिया जाए, वहाँ परिवहन आयुक्त किसी समय, ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करा सकता है और ऐसे यान के विक्रय से प्राप्त राशि से ऐसे यान के सम्बंध में देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में क्राइम पंजिका की जाँच में पाया गया कि निम्न 09 वाहन टैक्स जमा न कराये जाने तथा अन्य अभियोगों में निरुद्ध किए गए थे। जाँच में पाया गया कि इन वाहनो पर निरुद्ध किए जाने की तिथि तक रु 69,390/- कर बकाया था। आगे जाँच में पाया गया कि 90 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वर्तमान (08/2018) तक वाहनों को नीलाम कर बकाया कर की वसूली नहीं की गयी थी ।

| Sr. No | Registration No. | Type of Vehicle | GVW | Weight in Ton | Weight R/O in next no. | Tax Due Period | | No. of yrs/mnths | Rate of Tax/ton/qtr or per seat/qtr | Tax Due (in Rs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | From | To/date of seize | | | |
| 1 | UK07CA4206 | LGV | 2950 | 2.95 | 3 | 31-Dec-16 | 02-Feb-17 | 1 yr | 1000/yr | 1000 |
| 2 | UK07PA1790 | BUS | 44 SEATS | 42 seats tax payable | | 31-Jan-15 | 01-Feb-17 | 25 mnths | 30/seat/mnth | 31500 |
| 3 | UK07CA1959 | LGV | 995 | 1.00 | 1 | 31-Dec-14 | 28-Feb-17 | 3 yrs | 1000/yr | 3000 |
| 4 | UK07PA1487 | MPV | 14 | 13 seats tax payable | | 30-Jun-12 | 06-03-2017 | 51 mnths | 30/seat/mnth | 19890 |
| 5 | UK07CA9316 | LGV | 1550 | 1.55 | 2 | 29-Feb-16 | 30-Apr-17 | 2 yrs | 1000/yr | 2000 |
| 6 | UA07H1764 | GV | 1300 | 1.30 | 2 | 31-Dec-14 | 04-Aug-17 | 3 yr | 1000/yr | 3000 |
| 7 | UK07CA5338 | LGV | 1285 | 1.29 | 2 | 30-Jun-12 | 18-Aug-17 | 4 yrs | 1000/yr | 4000 |
| 8 | UA07P9554 | GV | 1350 | 1.35 | 2 | 31-Dec-14 | 07-Oct-17 | 3 yrs | 1000 | 3000 |
| 9 | UA07E4993 | LGV | 1250 | 1.25 | 2 | 31-Dec-15 | 22-Nov-17 | 2 yrs | 1000/yr | 2000 |
| | **Total** | | | | | | | | | **69390** |

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर नीलामी की कार्यवाही करते हुये लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार 90 दिवस उपरान्त वाहनों की नीलामी की जानी चाहिये थी जो कि नहीं की गयी थी। समय व्यतीत होने के साथ-साथ इन वाहनों का मूल्य ह्रास होने से विभाग को राजस्व क्षति की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**STAN**

**<u>प्रस्तर-1:</u> फिटनेस फीस व ग्रीन-सेस कम वसूले जाने से राजस्व क्षति ` 0.16 लाख।**

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (यथासंशोधित) अप्रैल, 2015 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन मोटर यान पर ग्रीन-उपकर रजिस्ट्रीकरण के दिनाँक से 07 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परिवहन यान के मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-56 के अधीन फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय ` 400/- प्रतिवर्ष की फीस देय थी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 894 दिनाँक 29.12.2016 के नियम 81(10) के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने या उसका नवीनीकरण करने के लिए किसी यान के परीक्षण का संचालन किए जाने हेतु तिपहिया या हल्के मोटर यान या चौपहिया साइकिल के लिए ` 400/-, मध्यम एवं भारी वाहन के लिए ` 600/- फीस के साथ-साथ मोटर-यानों की फिटनेस के लिए प्रमाण-पत्र अनुदत्त करना या उसका नवीनीकरण हेतु ` 200/- फीस भी देय है। फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात विलम्ब के लिए ` 50/- प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस भी देय है।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में फिटनेस सम्बन्धी पत्रावलियों की नमूना जाँच मे पाया गया कि संलग्न विवरण अनुसार 42 मोटर वाहनों से फिटनेस के समय ` 12,300/- फिटनेस फीस, ` 1050/- की अतिरिक्त/विलम्ब फीस तथा ` 240/- ग्रीन-सेस (**कुल 15,750/-**) के रूप में कम लिये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**STAN**

**प्रस्तर- 02: कर का न्यूनारोपण ₹ 0.05 लाख व शास्ति ।**

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 889/ix-1/106(2012)/2015 दिनाँक 03.12.2015 द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा (1) के अधीन यानों पर एक बार देय कर की दरों में निम्न प्रकार संशोधन किया गया था:

| **यान का विवरण** | **एक बार देय कर की दरें (रु में)** |
|---|---|
| यान जिसका मूल्य 10 लाख रु तक हो | यान के मूल्य का 6% |
| यान जिसका मूल्य 10 लाख रु से अधिक हो | यान के मूल्य का 8% |

आगे, यान के मूल्य का अभिप्राय यान के एक्स शो रूम मूल्य से है, जिसमे उत्पादन लागत एवं वैट सहित सभी कर सम्मिलित हैं।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में वाहनों के पंजीकरण से संबन्धित पत्रवालियों की नमूना जाँच में पाया गया कि कार्यालय में पंजीकृत वाहन संख्या यूके07 डीसी0007, जिसका इन्वाइस मूल्य रु 15,90,576/- था, पर 8 प्रतिशत की दर से रु 1,27,247/- MV tax लिया गया था। परन्तु, वाहन का उक्त मूल्य रु 67,568/- discount के बाद था, जिसपर 8 प्रतिशत की दर से रु 5,405/- का कर और आरोपणीय था जो कि अधिरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि नोटिस भेजकर अवशेष कर जमा करने की कार्यवाही करते हुये लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

## राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| 73/01-02 | 03 | 05 | - |
| 51/02-03 | - | 03 | - |
| 132/05-06 | 01,02,03,04 | 01,02 | - |
| 07/06-07 | 01,02,03,04 | - | - |
| 12/08-09 | 01,02,03 | 01 | - |
| 09/09-10 | 01 | 01 | - |
| 15/10-11 | 01,02 | - | - |
| 05/12-13 | 01,02,03 | - | - |
| 27/13-14 | - | 01,02 | 01,02,03,04 |
| 41/15-16 | 01 | 01,02,03,04,05 | 01,02 |
| 63/16-17 | - | 01,02 | 02 |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य**

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य**

## <u>भाग-IV</u>

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

**(1)** राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

**(2)** व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

**भाग-V**

**<u>आभार</u>**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | सुधांशु गर्ग | ARTO |
| 2 | डी.सी पठोई | ARTO |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

**लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र**